

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून
25 सुभाष रोड, देहरादून-248001
दूरभाष: 0135-2650809
फैक्स-0135-2653010
ईमेल- moef.ddn@gov.in



GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST &
CLIMATE CHANGE
INTEGRATED REGIONAL OFFICE, DEHRADUN
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

फ0 संख्या 8बी./यू.सी.पी./06/13/2020/एफ0 सी0/277

दिनांक 30/06/2021

सेवा में,

✓ अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय:- जनपद - उत्तरकाशी के अंतर्गत भटवाड़ी में हिना गांव सम्पर्क मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.606 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में। (FP/UK/ROAD/25918/2017)

सन्दर्भ:- कार्यालय-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक - 2894/FP/UK/ROAD/25918/2017 दिनांक 23-06-2021

महोदय,

उपरोक्त विषय पर सन्दर्भित पत्र का आशय ग्रहण करते हुए मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि इस कार्यालय के पत्र दिनांक 09.09.2020 द्वारा प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई थी जिसकी अनुपालना राज्य सरकार के संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गई है प्रस्तुत अनुपालन आख्या में निम्नलिखित कमियां पाई गयी है जिसकी पूर्ति राज्य सरकार से अपेक्षित है:-

- 1- It is seen that as per the NPV calculation sheet submitted with the proposal, the amount of Rs. 24,47,034/- is required to be deposited in the CAMPA fund but Rs. 22,02,070/- only has been found deposited. State Govt. may submit the clarification in this regard.
- 2- State Government may submit the CA scheme of Rs. 17,57,403/- as per which the amount has been deposited in the CAMPA fund.
- 3- As per the guidelines 2.4 (i), it has already been conveyed to the State Govt. that civil and soyam land selected for CA must be notified as RF/PF prior to the Stage-II approval. But still the proposal has been forwarded without notification.
- 4- State Government is requested to submit the *Khatauni* in original.
- 5- In muck disposal plan, details of 6 muck dumping sites in Reserve Forest area is found submitted taking area as 1.08 ha. But 0.54 ha area has been taken for muck disposal as per approval. State Government may remove this discrepancy and submit the correct information/documents.

भवदीय,

(टी0 सी0 नौटियाल)

उप महानिरीक्षक, वन (के0)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अपर मुख्य सचिव (वन), उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड, देहरादून।

(टी0 सी0 नौटियाल)

उप महानिरीक्षक, वन (के0)



कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी

E.Mail. dfoutarkashid@gmail.com Fax No-01374-222964 Tel.No- 01374-222444

पत्रांक-1142 / 12-1, कोटबंगला, दिनांक 21/09/2023

सेवा में,

वन संरक्षक,
भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड
मुनिकीरेती।

विषय :- जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड भटवाड़ी में हिना गाँव सम्पर्क मोटर मार्ग निर्माण हेतु 2.606 है० वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव सं०- FP/UK/ROAD/25918/2017

सन्दर्भ :- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय पत्रांक- 8बी०/यू०सी०पी०/०६/१३/२०२०/एफ०सी०/२७७, दिनांक- 30.08.2021, EDS (R.O) Dated 30.06.2021.

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र से भारत सरकार द्वारा उक्त विषयक प्रस्ताव में कतिपय कमियां इंगित की गई थी जिसका निराकरण प्रयोक्ता विभाग के पत्र संख्या- 1377/2 भू०अ०, दिनांक- 24.08.2021 द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है, जो निम्नवत है-

क्र.सं	आपत्तियां	निराकरण
1	It is seen that as per the NPV calculation sheet submitted with the purposal. The amount 24,47,03.00 is required to be depossited in the CAMPA fund but Rs. 22,02,070.00 only has been found deposited. State Govt. may submit the clarification in this regard.	प्रयोक्ता विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्ताव गठन के समय एन०पी०वी० की धनराशि का प्रस्ताव जिसमें रू० 9.39 लाख प्रति है० कि दर से हस्तान्तरित होने वाली भूमि 2.606 है० हेतु एन०पी०वी० की धनराशि रू० 2,44,7034.00 आगणित की गयी थी, विषयक प्रस्ताव की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त एन०पी०वी० की धनराशि रू० 8.45 लाख प्रति है० की दर से 2.606 है० हेतु रू० 22,02,070.00 की धनराशि जमा कराने को लिखा गया था, जिसके अनुपालन में विभाग द्वारा उक्त धनराशि NEFT/RTGS चालान द्वारा सम्बन्धित खाते में दि० 03/11/2020 को जमा कर दी गयी। (चालान की प्रति संलग्न है-1)
2	State Government may submat the CA scheme of Rs. 17,57,403.00 as per which the amount has been deposited in the CAMPA found.	उक्त शर्त के अनुपालन में ग्राम मातली सिविल में 5.212 है० भूमि में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु संशोधित सी०ए० योजना का 1757403.00 रू० का प्राक्कलन संलग्न है। (संलग्नक-2)
3	As per the guidelines 2.4 (i), itb has alrady been coveyed to the state Govt. that civil and soyam land selected for CA. must be notified as Rf/PF prior to the stage- (ii) approval. But still the proposal has been forworded without notification.	उक्त के अनुपालन में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल (सिविल और सोयम भूमि) को आरक्षित/संरक्षित वन घोषित करने की अधिसूचना का आलेख इस कार्यालय के पत्र संख्या- 2868/12-1, दिनांक- 09.02.2021 द्वारा अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु आपके कार्यालय को पूर्व में प्रेषित किया गया है। (संलग्नक-3)
4	State Government is requested to submit the khatoni in orginal.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि की मूल खतौनी संलग्न है। (संलग्नक-4)
5	In muck disposal plan, details of 6 muck dumping sites in Reserve Forest area in found submitted taking area as v1.08 ha. But 0.54 ha. Area has been taken for muck disposal as per approval. State Government may remove this discrepancy and submit the correct information/documents.	वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में संलग्न किये गये लैण्ड शैड्यूल में 03 डम्पिंग स्थल क्रमशः का० सै० (0/26-0/28), (1/36-1/38) एवं (2/23-225) कुल क्षेत्रफल 0.54 है० जिनके निर्देशांक E-78°30'28.00" N-30°44'16.70" & E-78°30'32.16" N-30°44'17.82" E-78°30'19.26" N-30°44'26.40" है। सुलभ सन्दर्भ हेतु लैण्ड शैड्यूल की छाया प्रति संलग्न की जा रही है। (संलग्नक-5)

अतः अनुरोध है कि विषयगत प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति निर्गत करवाने का कष्ट करें।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(डी.पी. बलूनी)

प्रभागीय वनाधिकारी,
उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी।

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०, भटवाड़ी।

(डी.पी. बलूनी)

प्रभागीय वनाधिकारी,
उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी।

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 03-11-2020

Agency Name.	PROVINCIAL DIVISION PWD BHATWARI
Application No.	6125918879
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/13/2020/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	Provincial Division PWD Bhatwari Distt- Uttarkashi Uttarkashi
Amount(in Rs)	3959473/-

Amount in Words :Thirty-Nine Lakh Fifty-Nine Thousand Four Hundred and Seventy-Three Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150896125918879 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 03-11-2020

Agency Name.	PROVINCIAL DIVISION PWD BHATWARI
Application No.	6125918879
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/13/2020/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address:	Provincial Division PWD Bhatwari Distt-Uttarkashi Uttarkashi
Amount(in Rs)	3959473/-

Amount in Words :Thirty-Nine Lakh Fifty-Nine Thousand Four Hundred and Seventy-Three Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150896125918879 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskampa@corpbank.co.in

[Signature]
Executive Engineer
Provincial Division PWD
Bhatwari Uttarkashi

Print

Back

[Signature]
Executive Engineer
Provincial Division PWD
Bhatwari Uttarkashi



Ref No

SBINR52020110900159498

क, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती के आदेश सं०-1331/8-1(2), दिनांक 01.02.2020 के द्वारा जारी निर्धारित दरों के अनुसार तैयार किया गया।

क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण का 10 वर्षीय प्राक्कलन

जिला योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड भटवाडी में हिना गांव सम्पर्क मोटर मार्ग कार्य हेतु 2.606 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

जिस विभाग द्वारा वृक्षारोपण किया जाना है- उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी।

वृक्षारोपण हेतु स्थल :- मातली सिविल सोयम खसरा नं०-181, 892, 946, (डुण्डा रेंज)

वृक्षारोपण हेतु क्षेत्रफल :- 5.212 है० (1000 पौध प्रति है०)

प्रथम चरण

क्र०सं०	कार्य का विवरण	मात्रा		दर	धनराशि
1	सर्वेक्षण व सीमांकन करना	1	Ha.	181.00	181.00
2	झाड़ी कटान करना	1	Ha.	5436.00	5436.00
3	दीवाल बन्दी कार्य करना $150 \times (0.60 + 0.45 / 2) \times 1.20 = 94.50 \text{ m}^3$	94.5	m ³	435.00	41107.50
4	मृदा एवं जल संरक्षण कार्य (चैकडेम निर्माण)	4	No.	20000.00	80000.00
5	गड्ढे खुदान करना (0.30×0.30×0.45)	1000	Pits	11.42	11420.00
6	निरीक्षण बटिया	1	Ha.	1095.00	1095.00
7	पौधों की कीमत	1000	No.	9.75	9750.00
8	जल संरक्षण कार्य	1	Ha.	10000.0	10000.00
9	कन्दूर फरों का खुदान करना	1	Ha.	3300	3300.00
11	अन्य आकस्मिक व्यय	1	Ha.	1000.0	1000.00
योग प्रथम चरण					163289.50
1	गड्ढा भरण (0.30×0.30×0.45)	1000	No.	2.04	2040.00
2	पौध रोपण हेतु ढुलान करना सिरबोझ/उतारना चढाना	1000	No.	7.79	7790.00
3	पौध रोपण	1000	No.	3.84	3840.00
4	पौध का रखरखाव	1000	No.	1.89	1890.00
5	निराई गुड़ाई प्रथम व द्वितीय बार	1000	No.	5.05	5050.00
6	रासायनिक खाद	1000	No.	1.35	1350.00
7	देखरेख कार्य पर व्यय (वर्ष में 07 माह)	1	Per ha.	858.4	6008.80
8	औजार तेज करना, बोरी सुतली अन्य आकस्मिक व्यय	1	Per ha.	1000.00	1000.00
9	वनीकरण क्षेत्र हेतु साईन बोर्ड लगाना	1	No.	1700.00	1700.00
10	वृक्षारोपण क्षेत्र के अन्दर घास एवं ज्वलनशील पदार्थ हटाना	1	Per ha.	684.00	684.00
11	कन्दूर फरों का नाली भरण एवं बीज बुआन	1	Per ha.	970.00	970.00
योग द्वितीय चरण					32322.80
तृतीय चरण					
1	वृक्षारोपण की सुरक्षा हेतु चौकीदार 12 माह 1 श्रमिक	1	Ha.	858.40	10300.80
2	निराई गुड़ाई व थावलाबन्दी	1000	No.	5.05	5050.00
3	वनीकरण क्षेत्र में रोपित पौधों की सिंचाई	1000	No.	1.5	1500
3	वृक्षारोपण क्षेत्र के अन्दर घास एवं ज्वलनशील पदार्थ हटाना	1	Per ha.	684.00	684.00
योग					17534.80
चतुर्थ चरण					
1	वृक्षारोपण की सुरक्षा हेतु चौकीदार 12 माह 1 श्रमिक	1	Ha.	858.40	10300.80
2	निराई गुड़ाई व थावलाबन्दी	1000	No.	5.05	5050.00
3	वृक्षारोपण क्षेत्र के अन्दर घास एवं ज्वलनशील पदार्थ हटाना	1	Per ha.	684.00	684.00

				16034.80
पंचम चरण				
1	वृक्षारोपण की सुरक्षा हेतु चौकीदार 12 माह 1 श्रमिक	1	Ha.	858.40
2	निराई गुड़ाई व थावलाबन्दी	1000	No.	5.05
3	वृक्षारोपण क्षेत्र के अन्दर घास एवं ज्वलनशील पदार्थ हटाना	1	Per ha.	684.00
	योग			16034.80
षष्ठम चरण				
1	वृक्षारोपण की सुरक्षा हेतु चौकीदार 12 माह 1 श्रमिक	1	Ha.	858.40
2	निराई गुड़ाई व थावलाबन्दी	1000	No.	5.05
3	वृक्षारोपण क्षेत्र के अन्दर घास एवं ज्वलनशील पदार्थ हटाना	1	Per ha.	684.00
	योग			16034.80
सप्तम चरण				
1	वृक्षारोपण की सुरक्षा हेतु चौकीदार 12 माह 1 श्रमिक	1	Ha.	858.40
2	निराई गुड़ाई व थावलाबन्दी	1000	No.	5.05
3	वृक्षारोपण क्षेत्र के अन्दर घास एवं ज्वलनशील पदार्थ हटाना	1	Per ha.	684.00
	योग			16034.80
अष्टम चरण				
1	वृक्षारोपण की सुरक्षा हेतु चौकीदार 12 माह 1 श्रमिक	1	Ha.	858.40
2	निराई गुड़ाई व थावलाबन्दी	1000	No.	5.05
3	वृक्षारोपण क्षेत्र के अन्दर घास एवं ज्वलनशील पदार्थ हटाना	1	Per ha.	684.00
	योग			16034.80
नवम चरण				
1	वृक्षारोपण की सुरक्षा हेतु चौकीदार 12 माह 1 श्रमिक	1	Ha.	858.40
2	निराई गुड़ाई व थावलाबन्दी	1000	No.	5.05
3	वृक्षारोपण क्षेत्र के अन्दर घास एवं ज्वलनशील पदार्थ हटाना	1	Per ha.	684.00
	योग			16034.80
दसम चरण				
1	वृक्षारोपण की सुरक्षा हेतु चौकीदार 12 माह 1 श्रमिक	1	Ha.	858.40
2	निराई गुड़ाई व थावलाबन्दी	1000	No.	5.05
3	वृक्षारोपण क्षेत्र के अन्दर घास एवं ज्वलनशील पदार्थ हटाना	1	Per ha.	684.00
	योग			16034.80
कुल योग				325390.70
या				337184.00
कम सं०	कुल क्षेत्रफल	दर प्रति है०	कुल धनराशि	
1	5.212	337184.00	1757403.01	
Or Say				

Checked For Rs. 1757403/-

[Signature]
Draftman
Uttarkashi Forest Division
Uttarkashi

[Signature]
प्रभारी धनसंविधान अधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग उत्तरकाशी
उत्तरकाशी

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी।

E.Mall. dfouttarkashid@gmail.com Fax No-01374-222964 Tel.No- 01374-222444

पत्रांक- 2868 /12-1, कोटसंगला, दिनांक 09/02/2021

(15)

सेवा में,

वन संरक्षक,
भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड,
मुनिकीरेती।

विषय:- जनपद-उत्तरकाशी के विकासखण्ड भटवाड़ी में हिना गांव सम्पर्क मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.606 है० वन भूमि गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में। प्रस्ताव संख्या-FP/UK/ROAD/25918/2017।

संदर्भ :- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्रांक 08बी/यू०सी०पी०/०६/१३/२०२०/एफ०सी०/१२०४ दिनांक ०९.०९.२०२०।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि उक्त परियोजना के निर्माण हेतु 2.606 है० के एवज में 5.212 है० सिविल सोयम भूमि क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु चयनित की गयी है। कार्यालय जिलाधिकारी, उत्तरकाशी के आदेश संख्या 1275/ग्यारह-विविध/ (2019-20) दिनांक 28 नवम्बर, 2020 के द्वारा उत्तराखण्ड सरकार के स्वामित्व की वर्ग 9(3)ड. की तहसील डुण्डा अन्तर्गत ग्राम मातली खसरा नं० 181 रक्बा 2.844 है०, खसरा नं० 892म० रक्बा 1.780 है०, खसरा नं० 946म० रक्बा 0.588 है० कुल रक्बा 5.212 है० भूमि को वन विभाग उत्तराखण्ड के नाम आवंटित/हस्तान्तरित की गयी है।

क्षतिपूर्क वनीकरण हेतु चिन्हित 5.212 है० सिविल सोयम भूमि को "भारतीय वन अधिनियम 1927" यथासंशोधित (केन्द्रीय अधिनियम सं०-16 वर्ष 1927) की धारा-29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाना है। उक्त हेतु अधिसूचना का ड्राफ्ट प्रारूप इस पत्र के साथ संलग्न प्रेषित किया जा रहा है। यदि आप सहमत हो तो उक्त अधिसूचना का ड्राफ्ट शासन को प्रेषित करना चाहें।

- संलग्नक:- 1. अधिसूचना का ड्राफ्ट।
2. जिलाधिकारी, उत्तरकाशी का आदेश की छायाप्रति।
3. खाता खतौनी की छायाप्रति।

भवदीय,

(दीप चन्द्र आर्य)
प्रभागीय वनाधिकारी,

उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी।

संख्या-2868 /12-1 तददिनांकित।

प्रतिलिपि अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(दीप चन्द्र आर्य)
प्रभागीय वनाधिकारी,
उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी।

2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
नगर पंचायत के कार की हित अंशोक्त हित :-														
60 उत्तराखण्ड सरकार वडा		1	0.016											
9(3)3. वडा. फ.		15	0.010											
		2	2											
		2	2											
		174	0.050											5
		181	2.844											
		183	0.034											
		2	2											
		2	2											
		8916	2.944											
		8925	1.78											
		2	2											
		2	2											
		9467	1.818											15
		946	0.011											
		951	0.016											
		2	2											
		2	2											
		3186	0.266											
		365	62.666	2	2									20

प्रमाणित संतोषिता

04.12.2020

राज. उप निदेश
माला

:: आदेश ::

अधिशाली अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, भटवाडी के पत्र संख्या 94/(30का0) 3भू0अ0 दिनांक 09.10.2020 द्वारा कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय भारत सरकार के आदेश संख्या 8बी0/यू0सी0पी0/06/13/2020/एफ0सी0/1204 दिनांक 09 सितम्बर 2020 के द्वारा जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड भटवाडी में ग्राम हिना सम्पर्क मोटर मार्ग के निर्माण कार्य हेतु 2.606 है० वन भूमि गैर वानिकी कार्यों हेतु अधिशाली अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, भटवाडी को हस्तांतरित किये जाने के फलस्वरूप सैद्धांतिक स्वीकृति की शर्त संख्या 03 के अनुसार विभाग द्वारा ग्राम मातली में सिविल सोयम भूमि खसरा संख्या 181/2.844 है०, 892म./1.780 है०, 946म./0.588 है० कुल रक्वा 5.212 है० को प्रत्यावर्तन किये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए भूमि हस्तांतरित किये जाने का अनुरोध किया गया।

उक्त के क्रम में उप जिलाधिकारी, डुण्डा के पत्र संख्या 49/र0का0-भू0हस्ता0/2019-20 दिनांक 19 नवम्बर 2020 के द्वारा ग्राम मातली में उत्तराखण्ड सरकार के स्वामित्व की वर्ग 9 (3) ड की बंजर भूमि खसरा संख्या 181/2.844 है०, 892म./1.780 है०, 946म./0.588 है० कुल रक्वा 5.212 है० भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित/उपयुक्त पायी गयी है। प्रस्तावित भूमि पर कोई मन्दिर, शमशान, मस्जिद, धार्मिक स्थल, स्मारक, एतिहासिक स्थल एवं किसी सार्वजनिक उपयोग की नही है।

शासनादेश संख्या 397/2012 दिनांक 29 फरवरी 2012 के अनुसार भारत सरकार से सैद्धांतिक स्वीकृति के पश्चात प्रस्तावों पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दोगुनी अवनत वन भूमि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया गया है तथा सैद्धांतिक अथवा अंतिम स्वीकृति इस शर्त के साथ निर्गत की गयी है कि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण दोगुने अवनत गैर जमींदारी विनाश (सिविल सोयम भूमि) पर किया जायेगा तथा भारत सरकार को वर्तमान तक प्रेषित किये जा चुके ऐसे प्रस्ताव जिनमें दोगुनी अवनत वन भूमि पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की योजना के साथ वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव भेजा गया है उनके लिए किये गये प्रस्ताव के अनुरूप ही दोगुनी भूमि चिन्हित व हस्तांतरित की जाए जिससे इन योजनाओं में और अधिक विलम्ब से बचा जा सके। इसके अतिरिक्त शासनादेश संख्या 2173/XVIII(II)/2012-18(120)/2010 दिनांक 17 दिसम्बर, 2012 के द्वारा विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित सिविल सोयम भूमि को वन विभाग के पक्ष में नियमानुसार हस्तान्तरित किये जाने का प्राधिकार जिले के भीतर जिलाधिकारियों को एवं अतर्जनपदीय मामलों में सम्बन्धित मण्डलायुक्तों को प्रतिनिधायित किये जाने की व्यवस्था दी गयी है।

अतः महोदय अधिशाली अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, भटवाडी

के पत्र संख्या 94/(30का0) 3भू0अ0 दिनांक 09.10.2020 पर उप जिलाधिकारी

डुण्डा/तहसीलदार डुण्डा की आख्या/संस्तुति पत्र संख्या 49/र0का0-भू0हस्ता0/2019-20 दिनांक

19 नवम्बर 2020 तथा शासनादेश संख्या 2173/XVIII(II)/2012-18(120)/2010 दिनांक 17

दिसम्बर, 2012 में दिये गये प्राविधानों के अनुरूप जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड

भटवाडी में ग्राम हिना सम्पर्क मोटर मार्ग के निर्माण कार्य हेतु 2.606 है० वन भूमि

फोटो प्रति सत्यापित
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
डुण्डा, कैम्प उत्तरकाशी

वानिकी कार्यो हेतु अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, भटवाडी को हस्तांतरित किये जाने के फलस्वरूप सैद्धांतिक स्वीकृति की शर्त संख्या 03 के अनुसार दोगुनी भूमि ग्राम मातली में सिविल सोयम खंसरा संख्या 181/2.844 है 0, 892 म./1.780 है 0, 946 म./0.588 है 0 कुल रक्वा 5.212 है 0 भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तराकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी के नाम हस्तांतरण की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है।

ह0/-

(मयूर दीक्षित)
जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

कार्यालय जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

संख्या 1275/ग्यारह-विविध/2019-20

दिनांक 28 नवम्बर, 2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- उप जिलाधिकारी, डुण्डा ।
- 2- तहसीलदार, डुण्डा ।
- 3- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, भटवाडी ।
- 4- प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी ।

फोटो प्रति सत्यापित
21/11/2020
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
भटवाडी, कैंप उत्तरकाशी


अपर जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।
28/11/2020

ਸ੍ਰੀ ਪੰਥ ਸੀਤਗਲ

10/10/10 10:10

1. आशुतोष गान्धर्व
2. विविध योग्य गान्धर्व
3. आशुतोष गान्धर्व



10

[illegible]

1. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

राजस्य उपनिषद्
नेताला

उपनिष्ठापकरी
जि. नि. नि. नि.
भुटवाडी

Index

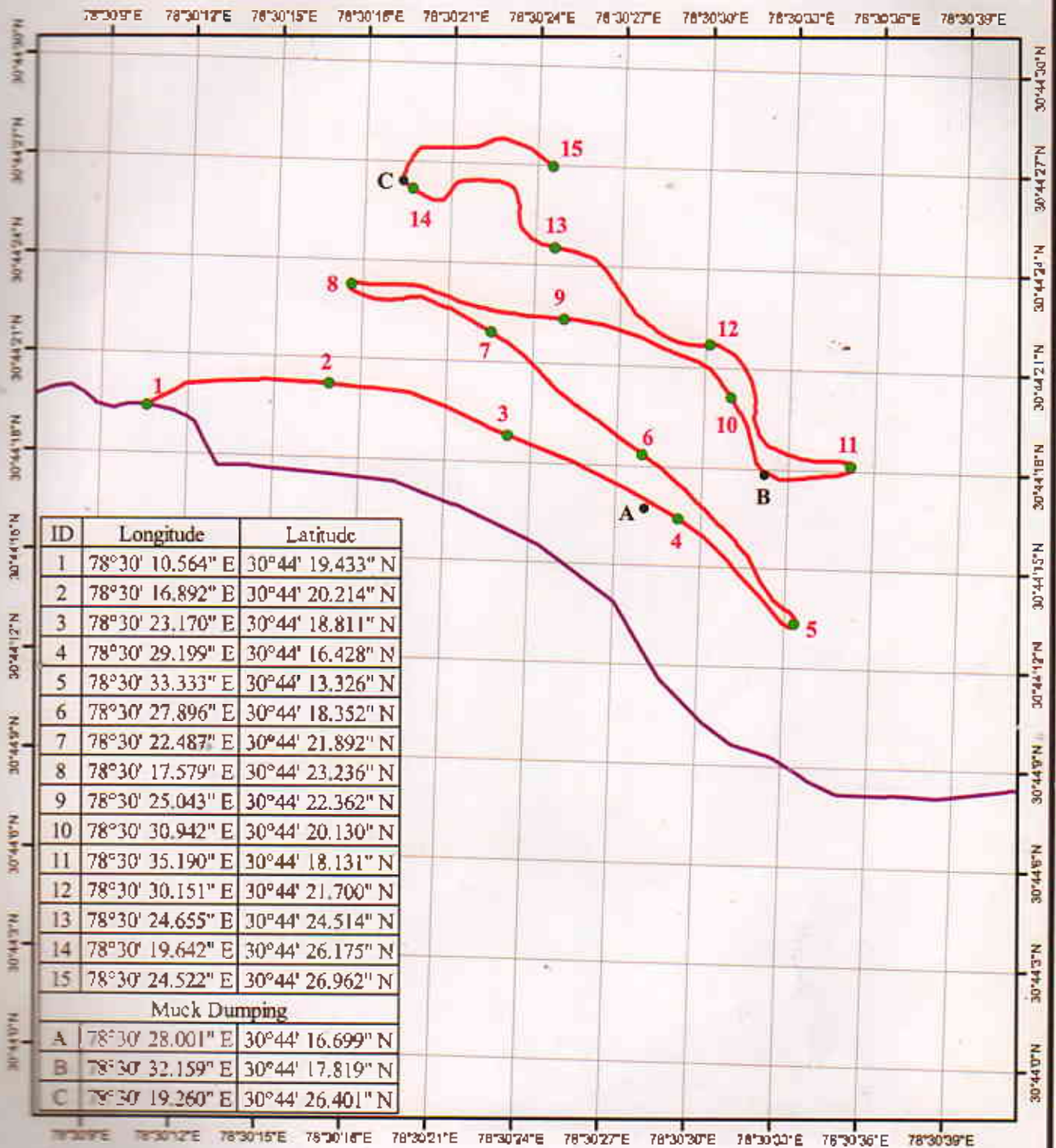
॥ १॥

विद्यापीठासोबत

प्रतिहस्ताकर
जिलाधिकारी
नगरपालिका

जीयोरफिक मैप - जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड भटवाड़ी में रा0राजमार्ग सं0 108 के कि0मी0 38 हिना से हिना गांव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु

0 0.05 0.1 0.2 Km
Scale - 1:5,000



Legend

- Muck Disposal Point
- Mroad GPS Coordinates
- Proposed Road
- Existing Road

CHECKED

Draughts Man

प्रमाणित वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग
उत्तरकाशी

उप निरीक्षक
उत्तरकाशी

नियंत्रण विभाग

उप तहसील जोशीय

उत्तरकाशी

अमीन

14

उत्तरकाशी विकासखण्ड विकास विभाग
भटवाड़ी (उत्तरकाशी)

निरीक्षक
उत्तरकाशी

राजेश आर्य

उत्तरकाशी



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, भटवाड़ी
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER PROVI. DIVISION
P.W.D. BHARKASHI (UTTARKASHI) PIN- 249135



E-Mail: eepwdbhatwari@rediffmail.com

Fax No-01374-244321

दिनांक ०८/०१/२०२१

सं० १२/०२ वन भूमि
भूमि,

प्रभागीय वनाधिकारी,
उत्तरकाशी वन प्रभाग,
उत्तरकाशी।

विषय :-

जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड भटवाड़ी में हिना -गोंव सम्पर्क मोटर मार्ग निर्माण कार्य हेतु २.६०६ हे० वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव (FP/UK/Road/25918/2017).

संदर्भ :-

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय पत्रांक-८६१०/ यू०सी०पी०/०६/१३/२०२०/ एक०सी०/१२०४ दि० ०९/०९/२०२०।

परिचय,

विशेष मार्ग की वनभूमि हस्तान्तरण की सैद्धान्तिक स्वीकृति सन्दर्भित पत्र द्वारा प्राप्त हुयी है। स्वीकृति की शर्तानुसार विभिन्न धनराशि जमा करने व विभिन्न शर्तों का अनुपालन करने के उपरान्त अनुपालन आख्या निम्नलिखित है-

Sl. No.	Conditions	Compliances
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा कार्य करने की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।
2	परियोजना के लिये आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जायेगी।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा निर्धारित शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
3	प्रतिपूरक वनीकरण :- (क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण को लागत पर ५.२१२ हे० गैर वानिकी भूमि ग्राम मातली सिविल खसरा नं० १८१, ८८२ एवं ९४६ नब्बे में प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा। जहाँ तक व्यावहारिक हो स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एक्ल प्लान्टेशन से बचे। (ख) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं संपादित किया जाएगा। भूमि के हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। Guideline para 2.4 (1) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये हैं जो वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय अधिनियम, १९२७ के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/ संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।	(क) इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर ५.२१२ हे० गैर वानिकी भूमि ग्राम मातली सिविल खसरा नं० १८१, ८८२ एवं ९४६ नब्बे में प्रतिपूरक वनीकरण हेतु १७५७०३.०० घनराशि उत्तरीयल कैम्पा के खाता संख्या १५०८९६१२५९१८८७९ कॉरपोरेशन बैंक, नई दिल्ली के खाते में जमा करा दी गयी है। (जमा बालान की छायाप्रति संलग्न) (ख) इस शर्त के अनुपालन में गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किया जा चुका है। (खतौली की नकल संलग्न है)
4	(ग) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी०ए० क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	पारव शर्त का अनुपालन प्रभागीय वनाधिकारी उत्तरकाशी वन प्रभाग द्वारा किया जाना है।
5	शुद्ध वर्तमान मूल्य :- (क) इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्या २०२/१९९६ में १९९६ दि० ३०.१०.२०२०, ०१.०८.२००३, २८.३.२००८, २४.०४.२००९ एवं ०९.०५.२००८ तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक-३-१/१९९६-एफ०सी० (pt. 2) दि० १९.०९.२००५, ६-२/२००६-एफ०सी० दि० ३.१०.२००६ एवं ६-३/२००७-एफ०सी० दि० ०६.०२.२००९ में जारी विधानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रसंग के तहत २.६०६ हे० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी। (ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य के अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो जो अन्तिम रूप देने से बाद देय हो जो राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूल जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इस एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।	(क) इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा मा० उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार इस प्रस्ताव के तहत २.६०६ हे० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य के तहत २२०२०७०.०० घनराशि उत्तरीयल कैम्पा के खाता संख्या १५०८९६१२५९१८८७९ कॉरपोरेशन बैंक, नई दिल्ली के खाते में जमा करा दी गयी है। (जमा बालान की छायाप्रति संलग्न) (ख) उक्त शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा यदि शुद्ध वर्तमान मूल्य के अतिरिक्त अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो तो उक्तका मुग्तान प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किया जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इसका प्रमाण पत्र दिया गया है जो कि संलग्न कर प्रेषित है।
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रूप देना जिसकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार ६६४ trees से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के पास कटौती की कटाई को लगाने जमा की जायेगी।	उक्त शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्धारित शर्त का अनुपालन किया जायेगा।

6	The Provision of the Bhagirathi eco sensitive zone notification and zonal master plan shall be complied with strictly by the State Govt. and User Agency.	उक्त शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा Environment Impact assessment (EIA) करा दिया गया है। (रिपोर्ट संलग्न है।) अन्य शर्तों का अनुपालन भी प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किया जायेगा।
7	State Govt will be submit the muck disposal plan and CA site suitability certificate to this office.	उक्त शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्धारित शर्त का अनुपालन कर muck disposal plan एवं CA site suitability certificate संलग्न कर प्रेषित है।
8	State Govt. will follow the recommendation of HPC as constituted by the Hon'ble Supreme court of India for Chardham.	User Agency will follow the recommendation of HPC as constituted by the Hon'ble Supreme court of India for Chardham
9	State Govt. will inform this office if they pass any order for tree cutting and commencement of work before stage II approval as per guidelines para 11.2 The State Govt. will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one Year from the date of issue of such permission.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
10	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त वन कंवल ई-पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से अतिरिक्त वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किये जायेंगे।	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त वन कंवल ई-पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) द्वारा बालान तैयार कर रु 3969473.00 वनराशि उत्तरांचल कैम्पा के खाता संख्या 150896125918879 कॉरपोरेशन बैंक, नई दिल्ली के खाते में जमा करा दी गयी है। (जमा पर्ची संलग्न)
11	एफओआरएओ, 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उक्त शर्त के अनुपालन हेतु एफओ आरओ 2006 का प्रमाण पत्र (प्रमाणित प्रति) संलग्न कर प्रेषित है।
12	संरक्षित क्षेत्र/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाये जायेंगे।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
13	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेंगे।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
14	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का से-आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
15	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
16	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भूजल को राज्य वन विभाग अथवा अन्य विकृत निगम अथवा वैकल्पिक इंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी विशेषतः वैकल्पिक इंधन दिया जायेगा।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
17	सम्बन्धित प्रभावीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा की परियोजना लगान पर भूमि पर सीमांकन किया जायेगा।	प्रभावीय वनाधिकारी उत्तरांचल की वनभूमि की सीमांकन हेतु रु 9,84,555.00 की वनराशि का बैंक ड्राफ्ट इस कार्यालय के पत्रांक 1709/150 दिनांक 10/11/2020 द्वारा प्रेषित किया गया है।
18	परियोजना कार्य के लिये निष्पादन के लिये निर्माण सामग्री के परिवहन के लिये वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
19	वन अनुपादन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण को पक्ष मिली लोड की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ जो भी कम हो, लक्षित किया जायेगा।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
20	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में निर्दिष्ट प्रयाजना के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयाजना हेतु नहीं किया जायेगा।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
21	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जायेगी।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
22	वन से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम 1986 का उल्लंघन होगा एवं उल्लंघन परियोजना के दिशानिर्देशों का हल न होना होगा।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।

23	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं ग्रन्थजीवी के संरक्षण व विकास के हित में समय समय पर निर्धारित कर्तें लागू होंगी।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
24	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वनिर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलबे का निस्तारण करेगा कि वह अन्य एक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलबा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जायेगा। मलबे को यथा स्थान रखने हेतु दीवार बनाई जायेगी। निस्तारण स्थल को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं तुल्य कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलबा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
25	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
26	अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) पर अपलोड की जाएगी।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त अनुपालन आख्या पर अग्रतः कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

देना- ① प्रतिलिपि

फाइल- 2-15 मद्रास जिला

फाइल- 16 रजिस्ट्री कोष

फाइल- 17 Novatec Payment-Copy

फाइल- 18 संलग्नक 03 Copy

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अपर मुख्य वन संरक्षक, नोडल कार्यालय, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इन्दिरानगर, देहरादून। ई मेल द्वारा
- 2- अधीक्षक अभियन्ता, छठा वृत्त, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी।
- 3- सहायक अभियन्ता प्रथम, प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0, भटवाडी।

21/1/2021
अधिरासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0,
भटवाडी।

अधिरासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0,
भटवाडी।

प्रेषण लिपिक
उत्तरकाशी वन प्रभाग
उत्तरकाशी

05/01/21

प्रमाण -पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य के अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो जो अन्तिम रुप देने के बाद देय हो को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूली कर नामित बैंक में जमा की जायेगी।

कनिष्ठ अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लेआउटिंग
भटवाडी।


21/11/2021
सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लेआउटिंग
भटवाडी।


21/11/2021
अधिरासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लेआउटिंग
भटवाडी।

2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
9/10/2019	9/10/2019	9/10/2019	9/10/2019	9/10/2019	9/10/2019	9/10/2019	9/10/2019	9/10/2019	9/10/2019	9/10/2019	9/10/2019	9/10/2019	9/10/2019	9/10/2019
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101
102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102
103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103
104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104
105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105
106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106
107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107
108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108
109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109
110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111
112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112
113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113
114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114
115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115
116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116
117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117
118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118
119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119
120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121	121
122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122
123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123
124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124
125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126
127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127
128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128
129	129	129	129	129	129	129	129	129	129	129	129	129	129	129
130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
131	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131
132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132
133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133
134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134
135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135
136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136
137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137
138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138
139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139
140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140
141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141
142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142	142
143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143
144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144
145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145
146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146
147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147
148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148
149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149
150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151	151
152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152
153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153
154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154
155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155
156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156
157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157
158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158
159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159
160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161
162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162
163	163	163	163	163	163	163	163	163	163	163	163	163	163	163
164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164
165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165
166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166
167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167
168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168
169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169
170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170
171	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171
172	172	172	172	172	172	172	172	172	172	172	172	172	172	172
173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173
174	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174
175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175
176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176
177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177
178	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178
179	179	179	179	179	179	179	179	179	179	179	179	179	179	179
180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181
182	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182
183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183

Original given to Dfo office
on 21/1/2025 ✓

ANALYSIS OF RATES

कार्य का नाम:- जिला योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड भटवाडी में हिना गांव सम्पर्क मोटर मार्ग निर्माण कार्य हेतु 2.606 है० वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव (किमी० 3.00 तक)

1	Excavation in foundation for retaining & breast walls in all types of soils and rocks including lead, lift and disposal of surplus material as per direction of engineer - in charge		
	MISCELLANEOUS	S.O.R Item No 1-2	366.60 /Cum
2	Providing and laying of wire crates 3.00x1.50x1.50 in size with GI wire conforming to IS: 280 & IS:4826 in 150mm x 150mm mesh laid with stone boulders. as per direction of Engineer-in- charge. (As per PWD Uttarakhand specifications) GI wire 10 gauge BWG		
	MISCELLANEOUS	S.O.R Item No 1-7-1	1670.60 /Cum

J.E.

A.E.
Assistant Engineer
Provincial Division P.W.D.
Bhatwari

Executive Engineer,
Provincial Division P.W.D.
Bhatwari

(मं० श्री सुमन)
अनु० अधिकारी
गनेरी

वन क्षेत्राधिकारी
बाड़ाहाट वन राजि

राज्यीय वन विभाग
उत्तरकाशी प्रभाग
कार्यकारी

DETAILS OF MEASUREMENT OF DUMPING YARD

कार्य का नाम:- जिला योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड भटवाडी में हिना गांव सम्पर्क मोटर मार्ग निर्माण कार्य हेतु
2.606 हे० वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव (किमी० 3.00 तक)

Sl No	Description	No	L	B	H/D	Quantity	
1	Excavation in foundation for retaining & breast walls in all types of soils and rocks including lead, lift and disposal of surplus material as per direction of engineer - in - charge						
	1st Dumping yard	N 30°44'16.7"		E 78°30'28.00"			
	1st Step	0.50 x 1	60.00	3.00	0.40	36.00	Cum
		0.50 x 2	30.00	3.00	0.40	36.00	Cum
					Total	72.00	Cum
	2nd Dumping yard	N 30°44'17.82"		E 78°30'32.16"			
	1st Step	0.50 x 1	60.00	3.00	0.40	36.00	Cum
		0.50 x 2	30.00	3.00	0.40	36.00	Cum
					Total	72.00	Cum
	3rd Dumping yard	N 30°44'26.40"		E 78°30'19.26"			
	1st Step	0.50 x 1	60.00	3.00	0.40	36.00	Cum
		0.50 x 2	30.00	3.00	0.40	36.00	Cum
					Total	72.00	Cum
					Net Total	216.00	Cum
2	Providing and laying of wire crates 3.00x1.50x1.50 in size with GI wire conforming to IS: 280 & IS:4826 in 150mm x 150mm mesh laid with stone boulders. as per direction of Engineer-in- charge. (As per PWD Uttarakhand specifications) GI wire 10 gauge BWG						
	1st Dumping yard	N 30°44'16.7"		E 78°30'28.00"			
	1st Step	1.00 x 40	1.50	3.00	1.50	270.00	Cum
	2nd Step	1.00 x 40	1.50	3.00	1.50	270.00	Cum
	3rd Step	1.00 x 20	3.00	1.50	1.50	135.00	Cum
	Side 1st Step	2.00 x 20	1.50	3.00	1.50	270.00	Cum
	2nd Step	2.00 x 20	1.50	3.00	1.50	270.00	Cum
	3rd Step	2.00 x 10	3.00	1.50	1.50	135.00	Cum
					Total	1350.00	Cum
	2nd Dumping yard	N 30°44'17.82"		E 78°30'32.16"			
	1st Step	1.00 x 40	1.50	3.00	1.50	270.00	Cum
	2nd Step	1.00 x 40	1.50	3.00	1.50	270.00	Cum
	3rd Step	1.00 x 20	3.00	1.50	1.50	135.00	Cum
	Side 1st Step	2.00 x 20	1.50	3.00	1.50	270.00	Cum
	2nd Step	2.00 x 20	1.50	3.00	1.50	270.00	Cum
	3rd Step	2.00 x 10	3.00	1.50	1.50	135.00	Cum
					Total	1350.00	Cum
	3rd Dumping yard	N 30°44'26.40"		E 78°30'19.26"			
	1st Step	1.00 x 40	1.50	3.00	1.50	270.00	Cum
	2nd Step	1.00 x 40	1.50	3.00	1.50	270.00	Cum
	3rd Step	1.00 x 20	3.00	1.50	1.50	135.00	Cum
	Side 1st Step	2.00 x 20	1.50	3.00	1.50	270.00	Cum
	2nd Step	2.00 x 20	1.50	3.00	1.50	270.00	Cum
	3rd Step	2.00 x 10	3.00	1.50	1.50	135.00	Cum
					Total	1350.00	Cum
					Net Total	4050.00	Cum

J.E

Assistant Engineer
Provincial Division P.W.D.
Bhatwari

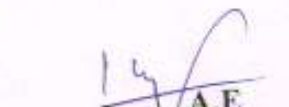
Bill of Qty For Dumping Yard

कार्य का नाम:- जिला योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड भटवाड़ी में हिना गांव सम्पर्क मोटर मार्ग
निर्माण कार्य हेतु 2.806 है० वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव (किमी० 3.00 तक)

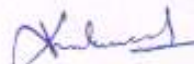
SI No	Item of work	Qty	Unit	Rate	Amount
1	2	3	4	5	6
1	Excavation in foundation for retaining & breast walls in all types of soils and rocks including lead, lift and disposal of surplus material as per direction of engineer - in - charge	216.00	Cum	366.60	79185.60
2	Providing and laying of wire crates 3.00x1.50x1.50 in size with Gi wire conforming to IS: 280 & IS:4826 in 150mm x 150mm mesh laid with stone boulders as per direction of Engineer-in- charge. (As per PWD Uttarakhand specifications) including supply of all material labour T&P etc.	4050.00	Cum	1670.60	6765930.00
				Total	6845121.60
				Say in Lac	68.45


J.E


अ. इं. प्र. वि. वि.
भटवाड़ी


A.E
Assistant Engineer
Provincial Division P.W.D.
Bhatwari


A.E
Assistant Engineer
Provincial Division P.W.D.
Bhatwari


अ. इं. प्र. वि. वि.
भटवाड़ी


अ. इं. प्र. वि. वि.
भटवाड़ी

Calculation of Quantity of Muck to be Disposed off.

कार्य का नाम:- जिला योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड भटवाही में हिना गांव सम्पर्क मोटर मार्ग निर्माण कार्य हेतु 2.606 हे० वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव (किमी० 3.00 तक)

Sl No	Description	Quantity	Unit
1	Detail of measurement of part first (Hill side cutting) as per H.S.cutting sheet.		
2	Km 1.00		
i	E&B	9530.42	cum
ii	O.R	6037.89	cum
iii	H.R	2383.15	cum
3	Km 2.00		
i	E&B	13778.41	cum
ii	O.R	4888.31	cum
iii	H.R	2546.82	cum
4	Km 3.00		
i	E&B	8103.18	cum
ii	O.R	3575.94	cum
iii	H.R	3607.86	cum
5	Total E & B	31412.01	cum
6	Total O.R	14502.14	cum
7	Total H.R	8537.83	cum
8	Total A	54451.98	cum
9	मोटर मार्ग की समस्त काम में डिजाईन, ड्राईंग व ग्रेड मिलाने में, स्टिलिंगवाल, ड्रेटवाल, पेंसिवेट, स्कापर, जी०१, जी०२, जी०३०, कुलीकल, एजिंगवाल में भरान आदि काटों में प्रयुक्त मक O.R+H.R का 80 प्रतिशत	18431.98	cum
10	मोटर मार्ग के शमारेखण में डिजाईन, ड्राईंग व ग्रेड मिलाने में, प्रयुक्त मक E & B का 25 प्रतिशत लेने पर।	7853.00	cum
11	मुचलऐलेवेसन हेतु भरान हेतु आवश्यक मलका, 10 % प्रतिशत लेने पर।	5445.20	cum
12	Total B	31730.18	cum
13	(Total A+Total B)	22721.80	cum
14	टर्मिन स्थल में ले जाने हेतु कुल मक की मात्रा	5680.45	cum
15	Add 25 % swell factor		
16	Net Quantity of Muck To be Dispose off.	G.Total	28402.25

J.E

Assistant Engineer
Provincial Division P.W.D.
Bhatwari

Executive Engineer,
Provincial Division P.W.D.
Bhatwari

(प्रो. ऑफ. डायनिंग)
अनु. अ.प.०
मेरी

वन क्षेत्राधिकारी
बाड़ाहाट वन राजि

प्रभागीय वनाधिकारी
हजाराश्री वन प्रभाग
उमरकाशी

DETAILS OF MEASUREMENTS

Part-I Hill Side Cutting

कार्य का नाम-मा0 मुख्यमन्त्री जी की घोषणा सं-526/2015 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र गंगोत्री के अन्तर्गत भटवाडी में हिना से हिना गॉव तक सम्पर्क मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।

Sl. No.	Chainage	Length (m)	Total area (m2)	%			Area in Square meters			Quantity in Cubic Metres		
				E&B	O.R.	H.R.	E&B	O.R.	H.R.	E&B	O.R.	H.R.
Km 1.00												
1	0/0	0.00		20%	20%	60%	0.00	0.00	0.00	0	0	0
2	0/1	26.00	13.88	0%	20%	80%	0.00	2.78	11.10	0.00	36.14	144.30
3	0/2	26.00	15.11	0%	20%	80%	0.00	3.02	12.09	0.00	75.40	301.47
4	0/3	25.00	13.44	0%	20%	80%	0.00	2.69	10.75	0.00	71.38	285.50
5	0/4	25.00	17.38	0%	20%	80%	0.00	3.48	13.90	0.00	77.13	308.13
6	0/5	25.00	14.39	40%	40%	20%	5.76	5.76	2.88	71.95	115.50	209.75
7	0/6	25.00	18.43	40%	40%	20%	7.37	7.37	3.69	164.10	164.13	82.13
8	0/7	24.00	17.14	40%	40%	20%	6.86	6.86	3.43	170.74	170.76	85.44
9	0/8	25.00	15.02	80%	20%	0%	12.02	3.00	0.00	235.90	123.25	42.88
10	0/9	25.00	20.84	80%	20%	0%	16.67	4.17	0.00	358.60	89.63	0.00
11	0/10	24.00	17.28	40%	30%	30%	6.91	5.18	5.18	283.01	112.20	62.16
12	0/11	25.00	24.82	80%	20%	0%	19.86	4.96	0.00	334.60	126.75	64.75
13	0/12	25.00	14.81	80%	20%	0%	11.85	2.96	0.00	396.30	99.00	0.00
14	0/13	26.00	17.95	60%	20%	20%	10.77	3.59	3.59	294.03	85.15	46.67
15	0/14	24.00	27.21	40%	40%	20%	10.88	10.88	5.44	259.85	173.64	108.36

16	0/15	24.00	27.01	40%	40%	20%	10.80	10.80	5.40	260.26	260.16	130.08
17	0/16	25.00	20.91	60%	40%	0%	12.55	8.36	0.00	291.88	239.50	67.50
18	0/17	25.00	16.10	60%	40%	0%	9.66	6.44	0.00	277.58	185.00	0.00
19	0/18	25.00	17.88	40%	40%	20%	7.15	7.15	3.58	210.15	169.88	44.75
20	0/19	25.00	22.17	40%	40%	20%	8.87	8.87	4.43	200.25	200.25	100.13
21	0/20	25.00	21.00	60%	40%	0%	12.60	8.40	0.00	268.35	215.88	55.38
22	0/21	25.00	20.25	60%	40%	0%	12.15	8.10	0.00	309.38	206.25	0.00
23	0/22	25.00	20.87	40%	40%	20%	8.35	8.35	4.17	256.23	205.63	52.13
24	0/23	24.00	21.38	60%	40%	0%	12.83	8.55	0.00	254.11	202.80	50.04
25	0/24	25.00	16.27	60%	40%	0%	9.76	6.51	0.00	282.38	188.25	0.00
26	0/25	26.00	9.69	60%	40%	0%	5.81	3.88	0.00	202.49	135.07	0.00
27	0/26	25.00	21.73	60%	40%	0%	13.04	8.69	0.00	235.65	157.13	0.00
28	0/27	26.00	12.47	60%	40%	0%	7.48	4.99	0.00	266.76	177.84	0.00
29	0/28	23.00	23.67	60%	40%	0%	14.20	9.47	0.00	249.37	166.29	0.00
30	0/29	38.00	52.90	60%	40%	0%	31.74	21.16	0.00	872.90	581.97	0.00
31	0/30	22.00	11.74	60%	40%	0%	7.04	4.70	0.00	426.62	284.46	0.00
32	0/31	26.00	12.88	20%	40%	40%	2.58	5.15	5.15	125.06	128.05	66.95
33	0/32	29.00	7.43	50%	50%	0%	3.72	3.72	0.00	91.22	128.62	74.68
34	0/33	24.00	14.13	70%	30%	0%	9.89	4.24	0.00	163.27	95.52	0.00
35	0/34	24.00	11.85	80%	20%	0%	9.48	2.37	0.00	232.45	79.32	0.00
36	0/35	24.00	16.69	80%	20%	0%	13.35	3.34	0.00	273.98	68.52	0.00
37	0/36	24.00	10.87	80%	20%	0%	8.70	2.17	0.00	264.58	66.12	0.00

38	0/37	26.00	11.59	80%	20%	0%	9.27	2.32	0.00	233.58	58.37	0.00
39	0/38	26.00	13.21	80%	20%	0%	10.57	2.64	0.00	257.92	64.48	0.00
40	0/39	23.00	16.81	60%	40%	0%	10.09	6.72	0.00	237.52	107.64	0.00
41	0/40	25.00	12.18	60%	40%	0%	7.31	4.87	0.00	217.43	144.88	0.00
									Total	9530.42	6037.89	2383.15

km 3.0

82	2/1	20.00	24.55	50%	30%	20%	12.28	7.37	4.91	444.59	154.20	49.10
83	2/2	21.00	30.33	60%	20%	20%	18.20	6.07	6.07	319.97	141.12	115.29
84	2/3	23.00	18.45	60%	20%	20%	11.07	3.69	3.69	336.58	112.24	112.24
85	2/4	31.00	22.72	60%	20%	20%	13.63	4.54	4.54	382.88	127.57	127.57
86	2/5	28.00	13.97	60%	20%	20%	8.38	2.79	2.79	308.20	102.62	102.62
87	2/6	25.00	22.09	60%	20%	20%	13.25	4.42	4.42	270.45	90.13	90.13
88	2/7	25.00	15.37	60%	20%	20%	9.22	3.07	3.07	280.95	93.63	93.63
89	2/8	28.00	17.08	50%	20%	30%	8.54	3.42	5.12	248.67	90.86	114.66
90	2/9	21.00	35.74	50%	10%	40%	17.87	3.57	14.30	277.31	73.40	203.91
91	2/10	22.00	17.14	60%	20%	20%	10.28	3.43	3.43	309.69	77.00	195.03
92	2/11	25.00	17.82	60%	30%	10%	10.69	5.35	1.78	262.20	109.75	65.13
93	2/12	25.00	19.33	50%	20%	30%	9.67	3.87	5.80	254.46	115.25	94.75
94	2/13	24.00	16.29	50%	20%	30%	8.15	3.26	4.89	213.72	85.56	128.28
95	2/14	24.00	10.77	50%	20%	30%	5.39	2.15	3.23	162.36	64.92	97.44
96	2/15	25.00	9.96	50%	20%	30%	4.98	1.99	2.99	129.56	51.75	77.75
97	2/16	25.00	17.22	50%	20%	30%	8.61	3.44	5.17	169.88	67.88	102.00
98	2/17	25.00	14.08	60%	20%	20%	8.45	2.82	2.82	213.23	78.25	99.88
99	2/18	26.00	10.96	60%	20%	20%	6.58	2.19	2.19	195.31	65.13	65.13
100	2/19	31.00	16.77	60%	20%	20%	10.06	3.35	3.35	257.89	85.87	85.87
101	2/20	24.00	37.38	60%	20%	20%	22.43	7.48	7.48	389.88	129.96	129.96
102	2/21	25.00	9.99	50%	30%	20%	5.00	3.00	2.00	342.79	131.00	118.50

km 3.0												
82	2/1	20.00	24.55	50%	30%	20%	12.28	7.37	4.91	444.59	154.20	49.10
83	2/2	21.00	30.33	60%	20%	20%	18.20	6.07	6.07	319.97	141.12	115.29
84	2/3	23.00	18.45	60%	20%	20%	11.07	3.69	3.69	336.58	112.24	112.24
85	2/4	31.00	22.72	60%	20%	20%	13.63	4.54	4.54	382.88	127.57	127.57
86	2/5	28.00	43.97	60%	20%	20%	8.38	2.79	2.79	308.20	102.62	102.62
87	2/6	25.00	22.09	60%	20%	20%	13.25	4.42	4.42	270.45	90.13	90.13
89	2/7	25.00	15.37	60%	20%	20%	9.22	3.07	3.07	280.95	93.63	93.63
90	2/8	28.00	17.08	50%	20%	30%	8.54	3.42	5.12	248.67	90.86	114.66
91	2/9	21.00	35.74	50%	10%	40%	17.87	3.57	14.30	277.31	73.40	203.91
92	2/10	22.00	17.14	60%	20%	20%	10.28	3.43	3.43	309.69	77.00	195.03
93	2/11	25.00	17.82	60%	30%	10%	10.69	5.35	1.78	262.20	109.75	65.13
94	2/12	25.00	19.33	50%	20%	30%	9.67	3.87	5.80	254.46	115.25	94.75
95	2/13	24.00	16.29	50%	20%	30%	8.15	3.26	4.89	213.72	85.56	128.28
96	2/14	24.00	10.77	50%	20%	30%	5.39	2.15	3.23	162.36	64.92	97.44
97	2/15	25.00	9.96	50%	20%	30%	4.98	1.99	2.99	129.56	51.75	77.75
98	2/16	25.00	17.22	50%	20%	30%	8.61	3.44	5.17	169.88	67.88	102.00
99	2/17	25.00	14.08	60%	20%	20%	8.45	2.82	2.82	213.23	78.25	99.88
100	2/18	26.00	10.96	60%	20%	20%	6.58	2.19	2.19	195.31	65.13	65.13
101	2/19	31.00	16.77	60%	20%	20%	10.06	3.35	3.35	257.89	85.87	85.87
102	2/20	24.00	37.38	60%	20%	20%	22.43	7.48	7.48	389.88	129.96	129.96
103	2/21	25.00	9.99	50%	30%	20%	5.00	3.00	2.00	342.79	131.00	118.50

104	2/22	25.00	4.35	50%	30%	20%	2.18	1.31	0.87	89.63	53.88	35.88
105	2/23	24.00	13.03	50%	30%	20%	6.52	3.91	2.61	104.28	62.64	41.76
106	2/24	25.00	16.92	50%	30%	20%	8.46	5.08	3.38	187.19	112.38	74.88
107	2/25	30.00	17.21	60%	20%	20%	10.33	3.44	3.44	281.79	127.80	102.30
108	2/26	25.00	2.75	70%	20%	10%	1.93	0.55	0.28	153.14	49.88	46.50
109	2/27	22.00	18.07	40%	40%	20%	7.23	7.23	3.61	100.68	85.58	42.79
110	2/28	24.00	15.08	40%	40%	20%	6.03	6.03	3.02	159.12	159.12	79.56
111	2/29	24.00	18.25	40%	30%	30%	7.30	5.48	5.48	159.98	138.12	102.00
112	2/30	24.00	21.75	40%	30%	30%	8.70	6.53	6.53	192.00	144.12	144.12
113	2/31	22.00	13.74	40%	30%	30%	5.50	4.12	4.12	156.16	117.15	117.15
114	2/32	24.00	16.98	50%	30%	30%	8.49	5.09	5.09	167.83	110.52	110.52
115	2/33	25.00	4.78	50%	30%	20%	2.39	1.43	0.96	136.00	81.50	75.63
116	2/34	27.00	7.38	40%	50%	10%	2.95	3.69	0.74	72.12	69.12	22.95
117	2/35	27.00	8.20	40%	20%	40%	3.28	1.64	3.28	84.13	71.96	54.27
118	2/36	24.00	11.97	40%	20%	40%	4.79	2.39	4.79	96.82	48.36	96.84
119	2/37	24.00	12.77	40%	20%	40%	5.11	2.55	5.11	118.75	59.28	118.80
120	2/38	24.00	2.44	40%	20%	40%	0.98	0.49	0.98	73.01	36.48	73.08
									Total	8103.18	3575.94	3607.86

104	2/22	25.00	4.35	50%	30%	20%	2.18	1.31	0.87	89.63	53.88	35.88
105	2/23	24.00	13.03	50%	30%	20%	6.52	3.91	2.61	104.28	62.64	41.76
106	2/24	25.00	16.92	50%	30%	20%	8.46	5.08	3.38	187.19	112.38	74.88
107	2/25	30.00	17.21	60%	20%	20%	10.33	3.44	3.44	281.79	127.80	102.30
108	2/26	25.00	2.75	70%	20%	10%	1.93	0.55	0.28	153.14	49.88	46.50
109	2/27	22.00	18.07	40%	40%	20%	7.23	7.23	3.61	100.68	85.58	42.79
110	2/28	24.00	15.08	40%	40%	20%	6.03	6.03	3.02	159.12	159.12	79.56
111	2/29	24.00	18.25	40%	30%	30%	7.30	5.48	5.48	159.98	138.12	102.00
112	2/30	24.00	21.75	40%	30%	30%	8.70	6.53	6.53	192.00	144.12	144.12
113	2/31	22.00	13.74	40%	30%	30%	5.50	4.12	4.12	156.16	117.15	117.15
114	2/32	24.00	16.98	50%	30%	30%	8.49	5.09	5.09	167.83	110.52	110.52
115	2/33	25.00	4.78	50%	30%	20%	2.39	1.43	0.96	136.00	81.50	75.63
116	2/34	27.00	7.38	40%	50%	10%	2.95	3.69	0.74	72.12	69.12	22.95
117	2/35	27.00	8.20	40%	20%	40%	3.28	1.64	3.28	84.13	71.96	54.27
118	2/36	24.00	11.97	40%	20%	40%	4.79	2.39	4.79	96.82	48.36	96.84
119	2/37	24.00	12.77	40%	20%	40%	5.11	2.55	5.11	118.75	59.28	118.80
120	2/38	24.00	2.44	40%	20%	40%	0.98	0.49	0.98	73.01	36.48	73.08
									Total	8103.18	3575.94	3607.86

km 3.0

km 3.0												
82	2/1	20.00	24.55	50%	30%	20%	12.28	7.37	4.91	444.59	154.20	49.10
83	2/2	21.00	30.33	60%	20%	20%	18.20	6.07	6.07	319.97	141.12	115.29
84	2/3	23.00	18.45	60%	20%	20%	11.07	3.69	3.69	336.58	112.24	112.24
85	2/4	31.00	22.72	60%	20%	20%	13.63	4.54	4.54	382.88	127.57	127.57
86	2/5	28.00	13.97	60%	20%	20%	8.38	2.79	2.79	308.20	102.62	102.62
87	2/6	25.00	22.09	60%	20%	20%	13.25	4.42	4.42	270.45	90.13	90.13
89	2/7	25.00	15.37	60%	20%	20%	9.22	3.07	3.07	280.95	93.63	93.63
90	2/8	28.00	17.08	50%	20%	30%	8.54	3.42	5.12	248.67	90.86	114.66
91	2/9	21.00	35.74	50%	10%	40%	17.87	3.57	14.30	277.31	73.40	203.91
92	2/10	22.00	17.14	60%	20%	20%	10.28	3.43	3.43	309.69	77.00	195.03
93	2/11	25.00	17.82	60%	30%	10%	10.69	5.35	1.78	262.20	109.75	65.13
94	2/12	25.00	19.33	50%	20%	30%	9.67	3.87	5.80	254.46	115.25	94.75
95	2/13	24.00	16.29	50%	20%	30%	8.15	3.26	4.89	213.72	85.56	128.28
96	2/14	24.00	10.77	50%	20%	30%	5.39	2.15	3.23	162.36	64.92	97.44
97	2/15	25.00	9.96	50%	20%	30%	4.98	1.99	2.99	129.56	51.75	77.75
98	2/16	25.00	17.22	50%	20%	30%	8.61	3.44	5.17	169.88	67.88	102.00
99	2/17	25.00	14.08	60%	20%	20%	8.45	2.82	2.82	213.23	78.25	99.88
100	2/18	26.00	10.96	60%	20%	20%	6.58	2.19	2.19	195.31	65.13	65.13
101	2/19	31.00	16.77	60%	20%	10.06	3.35	3.35	257.89	85.87	85.87	
102	2/20	24.00	37.38	60%	20%	22.43	7.48	7.48	389.88	129.96	129.96	
103	2/21	25.00	9.99	50%	30%	20%	3.00	2.00	342.79	131.00	118.50	

104	2/22	25.00	4.35	50%	30%	20%	2.18	1.31	0.87	89.63	53.88	35.88
105	2/23	24.00	13.03	50%	30%	20%	6.52	3.91	2.61	104.28	62.64	41.76
106	2/24	25.00	16.92	50%	30%	20%	8.46	5.08	3.38	187.19	112.38	74.88
107	2/25	30.00	17.21	60%	20%	20%	10.33	3.44	3.44	281.79	127.80	102.30
108	2/26	25.00	2.75	70%	20%	10%	1.93	0.55	0.28	153.14	49.88	46.50
109	2/27	22.00	18.07	40%	40%	20%	7.23	7.23	3.61	100.68	85.58	42.79
110	2/28	24.00	15.08	40%	40%	20%	6.03	6.03	3.02	159.12	159.12	79.56
111	2/29	24.00	18.25	40%	30%	30%	7.30	5.48	5.48	159.98	138.12	102.00
112	2/30	24.00	21.75	40%	30%	30%	8.70	6.53	6.53	192.00	144.12	144.12
113	2/31	22.00	13.74	40%	30%	30%	5.50	4.12	4.12	156.16	117.15	117.15
114	2/32	24.00	16.98	50%	30%	30%	8.49	5.09	5.09	167.83	110.52	110.52
115	2/33	25.00	4.78	50%	30%	20%	2.39	1.43	0.96	136.00	81.50	75.63
116	2/34	27.00	7.38	40%	50%	10%	2.95	3.69	0.74	72.12	69.12	22.95
117	2/35	27.00	8.20	40%	20%	40%	3.28	1.64	3.28	84.13	71.96	54.27
118	2/36	24.00	11.97	40%	20%	40%	4.79	2.39	4.79	96.82	48.36	96.84
119	2/37	24.00	12.77	40%	20%	40%	5.11	2.55	5.11	118.75	59.28	118.80
120	2/38	24.00	2.44	40%	20%	40%	0.98	0.49	0.98	73.01	36.48	73.08
Total										8103.18	3575.94	3607.86

J.E

Pron. Div. P.W.D. Bhatwari

Assistant Engineer
Pron. Div. P.W.D.Bhatwari

Location and Capacity of Dumping Yard

कार्य का नाम:- जिला योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड भटवाडी में हिना गांव सम्पर्क मोटर मार्ग निर्माण कार्य हेतु 2.606 है० वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव (किमी० 3.00 तक)

Location of dumping yard	No	Size of duming yard			Type of land	Capacity of dumping yard in cum	unit	Remark
		Length	width	hight				
Dumping yard A (xs 0/28-0/28)	1	60	30	4.5	reserve forest	8100	cum	
	1/2	60	30	2	reserve forest	1800		
Dumping yard B (1/38-138)	1	60	30	4.5	reserve forest	8100	cum	
	1/2	60	30	2	reserve forest	1800		
Dumping yard C(xs 2/23-2/25)	1	60	30	4.5	reserve forest	8100	cum	
	1/2	60	30	2	reserve forest	1800	cum	
Total						29700	cum	
Summry of dabries to be disposed off								
S.N	Unit	Total dabries	Disposal of material carted upto dumping site	Reused material for road construction	Total disposal at dumping yard	Capacity of dumping yard	Balance dabries (-/+)	
1	cum	54,452.06	28402.25	31,730.18	28,402.25	29700	(1,297.75)	

नोट-क्योंकि पहाड़ कटान से उत्सर्जित मलबे में से डिस्पोजल किए जाने वाले मलबे की मात्रा 28402.25 घन मीटर है तथा तीनों डम्पिंग स्थलों की कुल क्षमता 29700.00 घन मी० है। अतः डम्पिंग स्थल उक्त मोटर मार्ग हेतु उपयुक्त है।

[Signature]
J.E.

[Signature]
A.E.
Assistant Engineer
Provincial Division P.W.D.
Bhatwari

[Signature]
Executive Engineer,
Provincial Division P.W.D.
Bhatwari.

[Signature]
(मुख्य अधिकारी)
नरेश

[Signature]
वन क्षेत्राधिकारी
बाड़ाहाट वन प्रवि

[Signature]
प्रभागीय क्षेत्राधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग
उत्तरकाशी

मक डिस्पोजल प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम-जिला योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मटवाड़ी में हिना
गौव सम्पर्क मोटर मार्ग कार्य हेतु 2.606 हे० वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव (किमी० 3.00 तक)।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित मार्ग से उत्पादित मलवे को चिन्हित किये गये
स्थान पर डम्पिंग किया जायेगा जिससे किसी प्रकार की वन सम्पदा को किसी प्रकार की
क्षति नहीं पहुंचेगी।

Ums
J. E

[Signature]
Assistant Engineer
Provincial Division P.W.D.
Bhatwari

[Signature]
Executive Engineer,
Provincial Division P.W.D.
Bhatwari

[Signature]
(गौव क्षेत्र सुमन)
अ.ग. क्षेत्र
मन

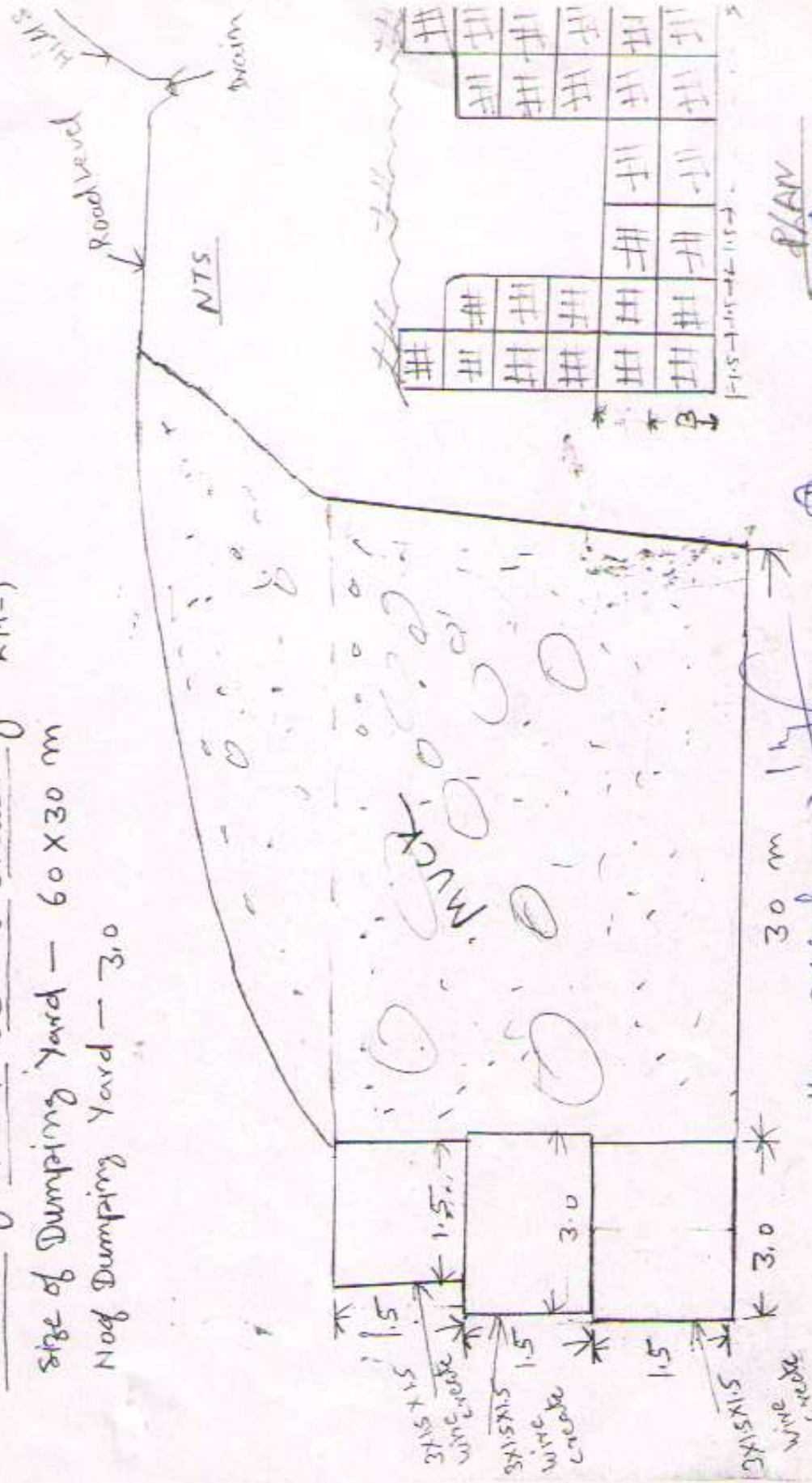
[Signature]
वन क्षेत्राधिकारी
बाढ़ाहाट वन राजि

कार्ज का नाम - मा० मुठ्यामंज जी की बीमणा संठ 526/2015 के अर्गत 2011-12 उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र गंगोत्री के अर्गत आवडी ने हिन ले हिन गंस तक सारक मोर मरि का निर्माण कार्य।

Dumping Yard Detail Drawing - KM-1

size of Dumping Yard — 60×30 m

No. of Dumping Yard - 3,0





भारतीय स्टेट बैंक
State Bank of India

ब्रांच: BHATWARI
CODE No: 02316
01374-244328

भागद्राफ्ट
DEMAND DRAFT

Key: YHPOP
Sr No: 141491

0 9 1 1 2 0 2 0
D O M M Y Y Y Y

या इनके आदेश पर
OR ORDER

भारतीय स्टेट बैंक
DIVISIONAL FOREST OFFICER FOREST DIVISION UTTARKASHI
रुपये RUPEES Nine Lakh Sixty Four Thousand Five Hundred and Fifty Five Only

अदा करें ₹ 964555.00

01000444797346
Name of Applicant

Key: YHPOP Sr No: 141491
EXECUTIVE ENGINEER PWD BHATWAR

AMOUNT BELOW 964556(9/6)

मूल्य प्राप्त / VALUE RECEIVED



भारतीय स्टेट बैंक
STATE BANK OF INDIA
आवेदक का ब्रांच / DRAWEE BRANCH UTTARKASHI
कोड नं. CODE No: 01172



वैधता 3 महीने के लिए है
VALID ONLY IF COMPUTER PRINTED

वैधता 3 महीने के लिए है
VALID FOR 3 MONTHS ONLY

⑈ 797346 ⑆ 0000020000 ⑆ 000444 ⑆ 16

NEFT-RTGS CHALLAN

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 03-11-2020

Agency Name.	PROVINCIAL DIVISION PWD BHATWARI
Application No.	6125918879
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/13/2020/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	Provincial Division PWD Bhatwari Distt- Uttarkashi Uttarkashi
Amount(In Rs)	3959473/-

Amount in Words: Thirty-Nine Lakh Fifty-Nine Thousand Four Hundred and Seventy-Three Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details:

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150896125918879 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 03-11-2020

Agency Name.	PROVINCIAL DIVISION PWD BHATWARI
Application No.	6125918879
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/13/2020/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	Provincial Division PWD Bhatwari Distt- Uttarkashi Uttarkashi
Amount(In Rs)	3959473/-

Amount in Words: Thirty-Nine Lakh Fifty-Nine Thousand Four Hundred and Seventy-Three Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details:

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150896125918879 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through
Email: helpdeskampa@corpbank.co.in


Executive Engineer
Provincial Division PWD
Bhatwari Uttarkashi

Print

Back


Executive Engineer
Provincial Division PWD
Bhatwari Uttarkashi



क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र

कार्य का नाम :- जिला योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड ःवाडी में
हिना-गांव सम्पर्क मोटर मार्ग निर्माण कार्य हेतु 2.066 हे० की भूमि
हस्तान्तरण प्रस्ताव (किमी० 3.00 तक)

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित स्थल 2.606 हे० के दो गुंन क्षेत्र 5.912
हे० पर वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल मातली की सिविल सोयम भूमि खसरा न०-181,892 तथा खसरा न०
946.00 कुल रकबा 6.542 हे० उपयुक्त है ।


क्षेत्रीय पटवारी
मातली


क्षेत्रीय पटवारी
मातली

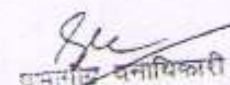

क्षेत्रीय पटवारी
मातली

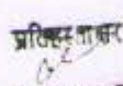
उप प्रभागीय वनाधिकारी
हुण्डा वन प्रभाग, उत्तरकाशी


क्षेत्रीय पटवारी
मातली

जिलाधिकारी
उत्तरकाशी


(क्षेत्रीय पटवारी)
मातली


प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग
उत्तरकाशी


प्रतिस्ठापक
जिलाधिकारी
उत्तरकाशी

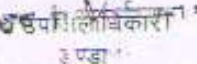
क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र

कार्य का नाम :- जिला योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड श्याडी में
हिना-गांव सम्पर्क मोटर मार्ग निर्माण कार्य हेतु 2.066 हे० की भूमि
हस्तान्तरण प्रस्ताव (किमी० 3.00 तक)

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित स्थल 2.606 हे० के दो गुने क्षेत्र 5.412
हे० पर वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल मातली की सिविल सोयन भूमि खसरा न०-131, 892 तथा खसरा न०
94600 कुल रकबा 6.542 हे० उपयुक्त है ।


क्षेत्रीय पटवारी
मातली

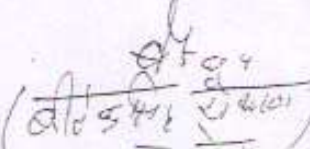

क्षेत्रीय पटवारी
मातली


क्षेत्रीय पटवारी
मातली

उप प्रभागीय वनाधिकारी
बुध्दा वन प्रभाग, उत्तरकाशी


क्षेत्रीय पटवारी
मातली

जिलाधिकारी
उत्तरकाशी


(क्षेत्रीय पटवारी)
मातली


प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग
उत्तरकाशी


प्रतिस्माक
जिलाधिकारी
उत्तरकाशी



Division of the Bhagirathi eco sensitive zone notification and zonal master plan shall be completed actively by the State Govt. and User Agency.

7. State Govt. will submit the muck disposal plan and CA site suitability certificate to this office.
8. State Govt. will follow the recommendation of HPC as constituted by the Hon'ble Supreme Court of India for Chardham.
9. State Govt. will inform this office if they pass any order for tree cutting and commencement of work before stage II approval as per guidelines para 11.2. The State Govt. will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission.
10. परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त वन कंवल ई-पोर्टल (<https://parivesh.nic.in>) के माध्यम से क्षतिपूर्त वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/ जमा किए जाएंगे।
11. एफआर 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।
12. संरक्षित क्षेत्रों / वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।
13. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार उपप्राप्तकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।
14. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।
15. वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।
16. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राष्ट्रीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।
17. संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्याशित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।
18. परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।
19. इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली सीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ जो भी कम हो, लक्षित किया जाएगा।
20. वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रभाव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।
21. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तापित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।
22. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1986 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।
23. पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समग्र-समग्र पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।
24. प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविदिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलबे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तब सीमा से सीधे न गिर। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में लब्ध परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के सीधे लगाकर मलबे निस्तारण क्षेत्र का स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलबे को यथा स्थान रखने हेतु बीमार बनाई जाएगी। निस्तारण स्थलों का राज्य के वन विभाग की सड़क से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजना तुरंत समग्रबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलबे निस्तारण क्षेत्र में रुकाई की कटाई की अनुमति नहीं होगी।
25. यदि कोई अन्य सम्यन्धित अधिनियम/ अनुच्छेद/ नियम/ कार्यलय आदेश/ अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जल्दी अनुमति सेना राज्य सरकार/ प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
26. अनुमति रिपोर्ट ई-पोर्टल (<https://parivesh.nic.in>) पर अपलोड की जाएगी।

सदस्य


(टी० सी० नोटिफाल)
उप महानिरीक्षक वन (जे०)

यदि सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

उपर्युक्त उप महानिरीक्षक (एफएसी०), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जलेश्वर राज, लखनऊ-२०, दिल्ली।

पर प्रमुख वन संरक्षक एवं वन्यजीव अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरा नगर फारेस्ट कॉलोनी, देहात, उत्तरप्रदेश।

या प्रकाशनी।

(टी० सी० नोटिफाल)
उप महानिरीक्षक वन (जे०)

:: आदेश ::

अधिशाली अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, भटवाडी के पत्र संख्या 94/(30का0) 3भू0अ0 दिनांक 09.10.2020 द्वारा कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय भारत सरकार के आदेश संख्या 8ब्री0/यू0सी0पी0/06/13/2020/एफ0सी0/1204 दिनांक 09 सितम्बर 2020 के द्वारा जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड भटवाडी में ग्राम हिना सम्पर्क मोटर मार्ग के निर्माण कार्य हेतु 2.606 है० वन भूमि गैर वानिकी कार्यों हेतु अधिशाली अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, भटवाडी को हस्तांतरित किये जाने के फलस्वरूप सैद्धांतिक स्वीकृति की शर्त संख्या 03 के अनुसार विभाग द्वारा ग्राम मातली में सिविल सोयम भूमि खसरा संख्या 181/2.844है०, 892म./1.780है०, 946म./0.588है० कुल रकबा 5.212 है० को प्रत्यावर्तन किये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए भूमि हस्तांतरित किये जाने का अनुरोध किया गया।

उक्त के क्रम में उप जिलाधिकारी, डुण्डा के पत्र संख्या 49/र०का०-भू०हस्ता०/2019-20 दिनांक 19 नवम्बर 2020 के द्वारा ग्राम मातली में उत्तराखण्ड सरकार के स्वामित्व की वर्ग 9 (3) ड की बंजर भूमि खसरा संख्या 181/2.844है०, 892म./1.780है०, 946म./0.588है० कुल रकबा 5.212 है० भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित/उपयुक्त पायी गयी है। प्रस्तावित भूमि पर कोई मन्दिर, शमशान, मस्जिद, धार्मिक स्थल, स्मारक, ऐतिहासिक स्थल एवं किसी सार्वजनिक उपयोग की नहीं है।

शासनादेश संख्या 397/2012 दिनांक 29 फरवरी 2012 के अनुसार भारत सरकार से सैद्धांतिक स्वीकृति के पश्चात प्रस्तावों पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दोगुनी अवनत वन भूमि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया गया है तथा सैद्धांतिक अथवा अंतिम स्वीकृति इस शर्त के साथ निर्गत की गयी है कि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण दोगुने अवनत गैर जमींदारी विनाश (सिविल सोयम भूमि) पर किया जायेगा तथा भारत सरकार को वर्तमान तक प्रेषित किये जा चुके ऐसे प्रस्ताव जिनमें दोगुनी अवनत वन भूमि पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की योजना के साथ वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव भेजा गया है उनके लिए किये गये प्रस्ताव के अनुरूप ही दोगुनी भूमि चिन्हित व हस्तांतरित की जाए जिससे इन योजनाओं में और अधिक विलम्ब से बचा जा सके। इसके अतिरिक्त शासनादेश संख्या 2173/XVIII(II)/2012-18(120)/2010 दिनांक 17 दिसम्बर, 2012 के द्वारा विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित सिविल सोयम भूमि को वन विभाग के पक्ष में नियमानुसार हस्तान्तरित किये जाने का प्राधिकार जिले के भीतर जिलाधिकारियों को एवं अतर्जनपदीय मामलों में सम्बन्धित मण्डलायुक्तों को प्रतिनिधायित किये जाने की व्यवस्था दी गयी है।

अतः महोदय अधिशाली अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, भटवाडी के पत्र संख्या 94/(30का०) 3भू०अ० दिनांक 09.10.2020 पर उप जिलाधिकारी, डुण्डा/तहसीलदार डुण्डा की आख्या/संस्तुति पत्र संख्या 49/र०का०-भू०हस्ता०/2019-20 दिनांक 19 नवम्बर 2020 तथा शासनादेश संख्या 2173/XVIII(II)/2012-18(120)/2010 दिनांक 17 दिसम्बर, 2012 में दिये गये प्राविधानों के अनुरूप जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड भटवाडी में ग्राम हिना सम्पर्क मोटर मार्ग के निर्माण कार्य हेतु 2.606 है० वन भूमि गैर

वानिको कार्यों हेतु अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, भटवाडी को हस्तांतरित किये जाने के फलस्वरूप सैद्धांतिक स्वीकृति की शर्त संख्या 03 के अनुसार दोगुनी भूमि ग्राम मातली में सिविल सोयम खसरा संख्या 181/2.844 है 0, 892 म./1.780 है 0, 946 म./0.588 है 0 कुल रकबा 5.212 है 0 भूमि क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु प्रभागीय बनाविकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी के नाम हस्तांतरण की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है।

ह 0/-

(मयूर दीक्षित)
जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

कार्यालय जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

संख्या 1275/ग्यारह-विविध/2019-20

दिनांक 28 नवम्बर, 2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- उप जिलाधिकारी, डुण्डा ।
- 2- तहसीलदार, डुण्डा ।
- 3- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, भटवाडी ।
- 4- प्रभागीय बनाविकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी ।

Daw
अपर जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

28/11/2020

B-K
को उपजिलाधिकारी-भटवाडी को
ने म.प. को
तहसीलदार
डुण्डा